सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला स्थापना शाखा)
आदेश-...335.../2017

दिनांक–08.11.2017 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन सं0–01/2012 के तहत समूह "घ" के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित पूर्व में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1242 दिनांक–23.09.2017 द्वारा निर्गत मेधा सूची में संशोधित करते हुए अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन निम्नवत किया जाता है :–

सर्वप्रथम विज्ञापन सं0–01/2012 के तहत् समूह–"घ" के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत आदेश ज्ञापांक–971/स्था0 दि0–09.08.2017 द्वारा पैनल निर्माण से संबंधित प्रकाशित मेधा सूची, प्राप्त दावा/आपत्ति, MJC No–1767/2016 विक्रमा कुमार साह उर्फ विक्रमा प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक–30.06.2017 एवं 11.08.2017, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित अन्य आदेश, सामान्य प्र0 विभाग, पटना से पत्रांक–147मू0 दिनांक–01.08.2017 द्वारा मांगा गया मार्गदर्शन, विभागीय पत्रांक 10457 दिनांक 17.08.2017 से प्राप्त मार्गदर्शन एवं अन्य सरकारी आदेश/निर्देश से संबंधित निम्न संक्षिप्त विवरण से जिला स्तरीय चयन समिति को अवगत कराया गया।

M.J.C.No–1767/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक–30.06.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के निदेश के आलोक में प्रश्नगत वाद से संबंधित विषय का निष्पादन कर अंतिम निष्कर्ष से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने हेतु 6 सप्ताह का समय सीमा निर्धारित किया गया था तथा उक्त समय सीमा के पश्चात् इस वाद को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया था। आदेश का अनुपालन करने की अंतिम तिथि 10.08.2017 थी।

मेधासूची के निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–147मू0 दिनांक–01.08.2017 द्वारा सामान्य प्र0 विभाग, पटना से मार्गदर्शन की मांग की गई थी। मार्गदर्शन ससमय प्राप्त नहीं हो सका। दिनांक–09.08.2017 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन सं0–01/2012 के तहत समह–"घ" के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित मेधा सूची का प्रारूप प्रकाशन करते हुए दावा/आपत्ति की मांग दिनांक–31.08.17 तक की गई साथ हीं दिनांक–10.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित वाद में पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

पुनः दिनांक 11.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत है :–

"The contempt application now is disposed of with observation that the calendar of the time schedule which has been fixed in the affidavit of the District Magistrate, Saran at Chapra must be strictly adhered to. In case, there is a default then the court will be compelled to initiate contempt proceeding afresh against the District Magistrate holding him personally responsible."

सामान्य प्र0 विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित पत्रांक–10457 दिनांक–17.08.2017 से मार्गदर्शन दिया गया है जो दिनांक–24.08.2017 को प्राप्त हुआ है, निम्नवत है,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वांछित परामर्श के प्रसंग में कंडिकावार विभागीय मन्तव्य निम्नवत हैः–

1. परिपत्र ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 की कंडिका–2(iii) में यद्यपि दिनों की संख्या का उल्लेख नहीं है, तथापि उक्त परिपत्र के परिशीलन से ज्ञात होगा कि उक्त प्रावधान 240 दिनों से कम अवधि तक कार्यरत कर्मियों के लिये ही किया गया है।
2. परिपत्र ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 की कडिका–2(iv) में यद्यपि दिनों की संख्या का उल्लेख नहीं है, तथापि उक्त परिपत्र के परिशीलन से ज्ञात होगा कि उक्त प्रावधान 240 दिनों से कम अवधि तक कार्यरत कर्मियों के लिए ही किया गया है।
3. उल्लेखनीय है कि नियमावली 2010 अथवा परिपत्र ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 में वर्णित प्राथमिकताओं में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नही है। विभागीय पत्रांक–3577 दिनांक–24.04.1997 की कंडिका–6 में प्रावधानित है कि "पूर्व पैनल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वरीयता के अनुसार अधिमानता दी जायेगी" किन्तु बिहार समूह–"घ" (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली 2010 की कंडिका–16 द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्पों/परिपत्र/अनुदेश आदि को निरसित कर दिया गया है एवं कंडिका–6(4) के अनुसार पैनल की वैद्यता एक वर्ष के लिए हीं होती है। अतः उचित होगा की सभी अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व पैनल के उम्मीदवारों की वरीयता का निर्धारण नये सिरे से किया जाय।

सामान्य प्र0 विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–7365 दिनांक–29.06.2011 के द्वारा मार्गदर्शन निम्नवत है :–

2(i) जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी हैं जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है, उन्ही रिक्त पदो के विरूद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्य अनुभव को वैद्य कार्यानुभव माना जायेगा।

2(ii) चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों के गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिनों की अहर्त्ता मानते हुए मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

2(iii) रिक्त पदो के अवशेष रहने पर समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालय अनुमंडल कार्यालय, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय इत्यादि में दैनिक पारिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव एवं मानव दिवसों की गणना कर मेधा सूची में द्वितीय प्राथमिकता में रखा जा सकता है।

2(iv) समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य Line Department में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियो के कार्यानुभव/मानव दिवसों को मेधा सूची में तृतीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

2(v) उपर्युक्त बिन्दुओं में कार्यानुभव/मानव दिवस की गणना समान रहने पर आवेदक को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची के प्राथमिकता में रखा जा सकता है।

2(vi) बिना किसी कार्यानुभव वाले आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में चतुर्थ प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

240 दिनों की अहर्त्ता एक Calendar वर्ष में होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA.NO–1287/2013 रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक–20.01.2015 को पारित आदेश का सारांश निम्नवत है :–

In the circular dated 29th June 2011 (Lt. No. 7365 dt, 29-06-2011) the Government issued certain guidelines for example it mandates that if, an individual is working on daily wages against the vacant posts carrying emoluments from the Govt. Fund, he shall be considered for appointment against such vacancy. Benefits are conferred upon the persons, who have put in 240 days of work obviously in a calendar year. Other, such benefits were also conferred.

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक........ विधिक–01 (सिवान) 02/2016 दिनांक 14.07.2016 से समाहरणालय सिवान का पत्रांक–12मू0/नजारत दिनांक– 04.04.2016 के संबंध में निम्नवत मार्गदर्शन दिया गया है :–

(i). विभागीय पत्रांक 7365 दिनांक 29.06.2011 के कंडिका 2(i) में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिन पदो के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी होते हैं तथा जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है उन्हीं रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्यानुभव को वैद्य कार्यनुभव माना जा सकता है। अतएव रिक्त पदों से भिन्न पदों पर के दैनिक कार्यानुभव की अधिमानता देय नही है।

(ii). विभागीय परिपत्र सं0 7365 दिनांक 29.06.2011 की कंडिका–2(ii) में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदको का वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिन की अहर्त्ता को मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 240 दिन के कार्यानुभव को न्यूनतम अहर्त्ता माना गया है। अतः इससे कम कार्यानुभव की अधिमानता देने का प्रश्न नही उठता है।

(iii). समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 की कंडिका– 5 के अनुसार रिक्ति का आकलन प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को करने का प्रावधान पैनल निर्माण हेतु किया गया है, नियमावली की कंडिका 6(4) में पैनल की वैधता एक साल तक निर्धारित की गई है एवं उसके आधार पर अगले 31 मार्च तक नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव 31 मार्च तक (पूर्व के वित्तिय वर्ष में) की गई कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना की जा सकती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–779(4)रा0 दिनांक–04.08.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक–283(4)रा0 दिनांक 19.06.2013 के कंडिका (iii) के अनुसार जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मचारी यदि उम्र सीमा पार कर चुके हों तब उनको निर्धारित उम्र सीमा में एकबार (One time) छूट प्रदान की जायेगी, बशर्ते जनगणना संगठन में प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा के भीतर थी।

जनगणना, 1991 के कुल–80+1 आवेदकों का वर्षवार कार्य दिवस प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित आदेश के साथ आवेदकों का स्वच्छता प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है या नही, इस पैनल में उन्हें रखा जा सकता है या नही, नियुक्ति के समय उनकी उम्र निर्धारित सीमा के अन्दर थी या नही, संबंधी प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–157मू0 दिनांक–30.08.17 स्मार पत्रांक–163मू0 दिनांक–09.09.17 एवं 164मू0 दिनांक–13.09.2017 से जनगणना निदेशालय, पटना के कार्यालय से की गई थी।

जनगणना निदेशालय से दिनांक–16.09.2017 (पत्रांक–1535 दि0–12.09.2017) को प्राप्त प्रतिवेदनानुसार 76 कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सूची के 8 कर्मियों का उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।

डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No–1287/2013, रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार वगै0 एवं अन्य LPA वाद में दिनांक– 20.01.2015 को पारित आदेश का सारांश निम्नवत है :–

In the circular dated 29th june 2011, the Govt issued certain guidelines for example, it mandates that if, an individual is working on daily wages against the vacant post carrying the emoluments from the Govt fund, he shall be considered for appointment against such vacancy. Benefits are conferred upon the persons, who have put in 240 days of work obviously in a calendar year. Other such benefits were also conferred.

We find it difficult to fit the appellants in to any such category. After verification of the relevant facts as well as the circulars the District Magistrate has taken the view that the appellants can be included in the 4th priority List.

We do not find any basis to interfere with the order passed by the District Magistrate or the one passed by the learned single judge.

विज्ञापन संख्या–01/2012 में नियोजनालय के माध्यम से अंतिम तिथि 31.07.2012 तक कुल 10451 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन पत्र का डेटाबेस पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार तैयार कर प्रकाशित किया गया था। डेटाबेस के अनुसार आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिये गये कार्यानुभव/मानव दिवसों का सत्यापन कर वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवस प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान से इस कार्यालय के पत्रांक–1972 दिनांक–18.12.2012, 1127 दिनांक–14.10.2016, 83 दिनांक–27.01.2017, 288 दिनांक–09.03.2017, 501 दिनांक–22.04.2017, 624 दिनांक–26.05.2017, अर्द्धसरकारी पत्र सं0–799 दिनांक 08.07.2017, 822 दिनांक–12.07.2017, 833 दिनांक–14.07.2017, 853 दिनांक–19.07.2017, 873 दिनांक–24.07.2017, 874 दिनांक 24.07.2017 एवं अंतिम स्मार पत्रांक–937/स्था0 दि0–03.08.17 द्वारा अनुरोध किया गया था। सारण जिला के बाहर के कार्यालयो से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के फलस्वरूप चयन समिति की दिनांक 25.07.2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी कि सारण जिला के बाहर के कार्यालयों से दिनांक 02.08.2017 तक आवेदकों का रिक्त पदो के विरूद्ध वर्षवार कार्यदिवस/कार्यानुभव संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदकों के कार्यानुभव को शून्य मानते हुए तद्नुसार पैनल निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

संबंधित विभाग से आवेदकों के संबंध में प्राप्त कार्यानुभव प्रतिवेदन को विहित प्रपत्र में टंकित कराते हुए दिनांक–09.08.17 को चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आदेश ज्ञापांक–971/स्था0 दिनांक 09.08.2017 से पैनल निर्माण से संबंधित मेधा सूची का प्रारूप प्रकाशन करते हुए दिनांक 31.08.2017 तक आवेदकों से निबंधित डाक द्वारा दावा/आपत्ति की मांग किया गया था। आवेदकों से कुल– 888 दावा/आपत्ति से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिसकी तैयार की गई विवरणी की निराकरण पर चर्चा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन, उपरोक्त वर्णित माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश एवं दिनांक–08.11.2017 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अलोक में सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिया गया है।

क– विज्ञापन सं0 01/2012 में उल्लेखित अंतिम तिथि 31.07.2012 तक कुल–10451 प्राप्त आवेदन पत्रों को सामान्य प्र0वि0 बिहार, पटना के पत्रांक–7365 दिनांक 29.06.2011 एवं प्राप्त मार्गदर्शन पत्रांक– 10457 दिनांक 17.08.2017 के आलोक में निम्नवत के अनुसार प्राथमिकता सूची वर्गीकृत की गयी है। कोटिवार आवेदनों की संख्या निम्नवत पाई गई :–

1. रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदको के वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 240 दिन कार्य करने वाले आवेदकों की प्रथम प्राथमिकता के तहत् कुल संख्या :– 16
2. समाहरणालय/अनुमंडल/प्रखण्ड एवं अंचल में कार्य करने वाले आवेदकों की द्वितीय प्राथमिकता के तहत् कुल संख्या:– 80

3. लाईन डिपार्टमेन्ट में कार्य करने वाले आवेदकों की तृतीय प्राथमिकता के तहत् कुल संख्या :– **06**
4. बिना किसी कार्य अनुभव वाले आवेदकों की चतुर्थ प्राथमिकता के तहत् कुल संख्या :– **9223**
5. निर्धारित अहर्त्ता नहीं रखने वाले आवेदकों की कुल संख्या :– **1126**

ख– जिला परिषद, नगर परिषद, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, आत्मा, डी0आर0डी0ए0/अभिकरण एवं अन्य संस्था, सोसाइटी स्थानीय स्वशासन के कार्यालय, लाईन डिपार्टमेन्ट की श्रेणी में नही आने के कारण इन संस्था में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले को पैनल में कार्य अनुभव के आधार पर कोई अधिमानता नहीं दिये जाने एवं इसी प्रकार पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कर्मी के कार्यानुभव की अधिमानता नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति में प्राप्त एन0आर0एच0एम0की राशि से होता है।

ग– बाढ सहाय्य, डी0डी0टी0 छिड़काव, पल्स पोलियो, पशु टिकाकरण जनगणना (जनगणना 1991 को छोड़कर) एवं अन्य ऐसे आकस्मिक (मौसमी कार्य के समय काफी कम समय के लिए काफी संख्या में दैनिक मजदूर) कर्मी को रखकर कार्य लिया जाता है जो स्वीकृत बल के अर्न्तगत कार्यरत नहीं होते हैं, ऐसे मौसमी कार्य करने वाले दैनिक मजदूर के कार्यानुभव को वैध कार्यानुभव नहीं माना जायेगा।

घ– भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेसनोट जारी हो जाने के वाद से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि में निर्वाचन हेतु स्वीकृत बल से बहुत अधिक संख्या में दैनिक मजदूरों से काम लिया जाता है जिनके कार्यानुभव की अधिमानता नहीं दी जायेगी।

ङ– बेल्ट्रान के द्वारा प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर व अन्य कम्प्यूटर आपरेटर व अन्य संस्था के द्वारा रखे गये कम्प्युटर आपरेटर, विकासमित्र, न्यायमित्र, शिक्षासेवी, सचिव, ग्राम कचहरी, सहायिका, किसान सलाहकार के कार्य को भी कार्यानुभव के रूप में अधिमानता नहीं दी जायेगी।

च– समूह "घ" के बदले अन्य रिक्त पद के विरूद्ध कार्य किये जाने, किये गये कार्य दिवसों की संख्या वर्षवार प्रतिवेदित नहीं किये जाने बिहार सरकार की राशि से भुगतान नहीं किये जाने के कारण भी कार्यानुभव के रूप में अधिमानता नही दी जायेगी।

छ– उपरोक्त के अनुसार जिसका कार्यानुभव मान्य नहीं है उसके संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन में दर्शाये गये कार्यानुभव को शून्य मानते हुए प्राथमिकता कोटि 4 में अधिक उम्र के आधार पर रखा गया है।

ज– विज्ञापन सं0–01/2012 के आलोक में निर्धारित अहर्त्ता धारण नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया है।

झ– राजस्व एवं भु0सु0 विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–779(4)रा0 दिनांक–04.08.17 एवं संकल्प ज्ञापांक–283(4)रा0 दिनांक–19.06.2013 के आलोक में जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का मेधा सूची पैनल में सम्मिलित किया गया है।

ञ– डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA.No.–1287/2013, रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार वगै0 एवं अन्य LPA वाद में दिनांक 20.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में उन्हें मेधा सूची पैनल के चतुर्थ प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। परिणामस्वरूप प्राप्त कार्यानुभव प्राथमिकता सूची(4) में नहीं दर्शाया गया है।

ट– सामान्य प्र0 विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में सभी अहत्ताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व पैनल के उम्मीदवारों की वरीयता का निर्धारण नये सिरे से किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तदनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

ठ– विज्ञापन में रिक्ति का प्रकाशन नहीं हो सका है पर निर्णय लिया गया कि विज्ञापन के प्रकाशन के पूर्व जो रोस्टर पंजी क्लीयर हुआ है उसी रिक्ति को आधार मानकर पैनल तैयार किया जायेगा।

ड– भविष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं सामान्य प्र0 विभाग के निर्गत पत्र के आलोक में तदुनसार परिवर्तन हो सकेगा।

ढ– प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा अपने जाति को अन्य कोटि में सम्मिलित किये जाने संबंधी निर्गत राज्यादेश के आधार पर सुधार करने का अनुरोध किया गया है। निर्णय लिया गया कि ऐसे दावा/आपत्ति पर विचारण संभव नहीं है चूंकि निर्गत विज्ञापन के समय लागू आरक्षण कोटि हीं मान्य होगा।

ण– आवेदकों से प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के समय पाया गया कि निम्न आवेदकों यथा–सुरेश चौधरी, आई0डी0सं0–7467 एवं विरेन्द्र प्रसाद, आई0डी0सं0–5381 के कार्यानुभव प्रतिवेदन जिला नजारत शाखा, सारण द्वारा पत्रांक 389/नजा0 दिनांक 03.08.2017 में नहीं दिया गया है, फलस्वरूप इन कर्मियो का कार्यदिवस शून्य मानते हुए कोटि–4 में उन्हें रखा गया है। जांचोपरान्त पाया गया कि जिला नजारत शाखा, सारण द्वारा अपने पत्रांक–371 दिनांक–24.07.2017 द्वारा उपरोक्त आवेदकों के संबंध में कार्यानुभव का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। फलस्वरूप इन्हे कोटि–2 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

त– निर्णय लिया गया कि वैसे आवेदक को विकलांगता का लाभ अनुमान्य नहीं होगा जिनका विकलांगता 40 प्रतिशत से कम है।

उमेश यादव, आई0डी0सं0–2774 से प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के समय पाया गया कि पूर्व के निर्गत डाटाबेस में निबंधन सं0 अंकित नहीं रहने के कारण श्री यादव को रद्द आवेदकों की सूची में रखा गया है। आवेदक द्वारा विज्ञापन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच की गई, पाया गया कि निबंधन प्रमाणपत्र की छायाप्रति आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया गया है, फलस्वरूप इन्हे कोटि–2 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

1. राकेश राय, आई0डी0सं0–1128 एवं अमीत कुमार, आई0डी0सं0–8329 से प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के समय पाया गया कि श्री राय का जन्म तिथि गलत अंकित होने एवं श्री कुमार का निबंधन संख्या अंकित नहीं होने के कारण इन दोनों का नाम रद्द आवेदकों की सूची में है जबकि मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य के अनुसार श्री राय का जन्म तिथि–11.07.1992 एवं श्री कुमार का निबंधन संख्या–SC3970/12 है। इस प्रकार इन्हें कोटि–4 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

विन्ध्याचल सिंह, आई0डी0सं0–6268 से प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के समय पाया गया कि श्री सिंह का नाम अधिक उम्र होने के कारण रद्द आवेदकों की सूची में सम्मिलित है। जांचोपरान्त पाया गया कि जनगणना निदेशालय द्वारा अपने पत्रांक 1535 दिनांक 12.09.2017 से उनके संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है फलस्वरूप उम्र छुट का लाभ देते हुए इन्हे कोटि–4 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

दयानन्द साह, आई0डी0सं0–10248 से प्राप्त दावा/आपति के निराकरण के समय पाया गया कि जनगणना निदेशालय, पटना के पत्रांक–1535 दिनांक–12.09.2017 से श्री साह के संबंध में दिया गया प्रतिवेदन में जन्मतिथि 09.08.1954 प्रतिवेदित किये जाने के कारण उनकी उम्र 60 वर्ष होने के फलस्वरूप रद्द आवेदकों की सूची में रखा गया है। जांचोंपरान्त पाया गया कि आवेदक द्वारा विज्ञापन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षणिक योग्यता में अंकित जन्मतिथि 09.08.64 है, इस प्रकार आवेदक की उम्र 60 वर्ष से कम होने के कारण उम्र छूट का लाभ देते हुए इन्हें कोटि–4 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

जनगणना निदेशालय के पत्रांक–1627 दिनांक 05.10.2017 द्वारा 7 एवं पत्रांक–1680 दिनांक–16.10. 2017 द्वारा 01 कर्मियो (यथा 1. रामनाथ राम, आई0डी0सं0–7574, 2. चन्देश्वर राम, आई0डी0सं0–2063, 3. विरेश राम, आई0डी0सं0–1522, 4. जम्मू चौधरी, आई0डी0सं0–3419, 5. ब्रजेन्द्र कु0 राम, आई0डी0सं0–3319, 6. मुर्शीद आलम, आई0डी0सं0–7616, 7. संजय कुमार, आई0डी0सं0–6764) एवं (1. राजदेव राम, आई0डी0सं0–8663)के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिन्हें उम्र छूट का लाभ देते हुए इन्हे कोटि–4 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

2. पुनः जनगणना निदेशालय के पत्रांक–1724 दिनांक–31.10.2017 द्वारा 09 कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 03 कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन पूर्व में आ चुका है शेष 06 कर्मियों यथा–1. श्री भरत प्रसाद यादव, आई0डी0सं0–675, 02. श्री रामेश्वर साह, आई0डी0सं0–6916, 3. श्री शिव प्रसाद राय, आई0डी0सं0–5685, 4. श्री अर्जुन प्रसाद, आई0डी0सं0–764, 5. श्री सुशील कुमार चौधरी, आई0डी0सं0–1909, 6. श्री अवधेश कुमार सिंह, आई0डी0सं0–8687 का प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें उम्र छूट का लाभ देते हुए इन्हें कोटि–4 में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त आवेदकों को पूर्व के बैठक के निर्णयानुसार संबंधित कोटि में सम्मिलित किया जाय।

आवेदकों से प्राप्त कुल–481 दावा/आपत्ति से संबंधित निराकरण की विवरणी को सर्व सम्मति से अनुमोदित करते हुए सारण जिला के वेबसाईट पर Upload करने एवं इसका अभिलेख संधारित करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित तिथि–10.10.2017 के वाद दावा/आपत्ति से संबंधित 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसपर विचारण संभव नही है।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत पूर्व का निर्गत आदेश ज्ञापांक–1242 दिनांक–23.09.2017 से संशोधित पैनल निर्माण मेधा सूची में दिनांक–10.10.2017 तक प्राप्त दावा/आपति के निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन किया जाता है। जिसे सारण जिला के वेबसाईड–**www.saran.bih.nic.in** पर Upload किया जाय, साथ ही इसकी सूचना सामाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है।

ह०
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1377/स्था0, दिनांक 08.11.17

प्रतिलिपि :– जिला आई0टी0 मैनेजर, सारण/जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सारण को सूची के साथ सारण जिला के बेवसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

ह०
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा (जिला स्थापना शाखा)

विज्ञापन सं0– 01/2012 के तहत समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित दिनांक 23.09.2017 को प्रकाशित संशोधित मेघा सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से मेघा सूची का प्रकाशन (वर्ष–2017) प्राथमिकता सूची–3

क्र0	आइ0 डी0 सं0	आवेदक का नाम एवं पता	निबंधन सं0	शैक्षणिक योग्यता	साईकिल चलाने का अनुभव	जन्म तिथि	कटऑफ डेट (01.01.2011)	वर्ष	माह	दिन	लिंग	आरक्षण कोटि	विक्लांग श्रेणी है अथवा नहीं	कार्यालय का नाम	कार्यानुभव वाले कार्यालय का नाम	कार्यालय का नाम जहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त है एवं पत्रांक, दिनांक	समाहरणालय/ अनुमण्डल/ प्रखण्ड/ अंचल/ लाईन डिपार्टमेंट/ प्राथमिकता कोटि–4	किस रिक्त पद के विरुद्ध कार्य अनुभव प्राप्त है। (समूह 'घ' के लिए)	वर्ष वार (calendar year) दिनों की सं0-(आधार न्यूनतम प्रतिवर्ष 240 दिन)		कार्यानुभव की कुल सं0	वर्षवार 240 दिन या उससे अधिक किये गये कार्यानुभवन की कुल सं0	प्राप्त कार्यानुभव व रिक्त पद के विरुद्ध है अथवा नहीं	किये गये कार्यों के विरुद्ध बिहार सरकार की राशि से भुगतान किया गया है अथवा नही (साक्ष्य सहित)	कार्यालय का मतंव्य (अभियुक्ति)	अभियुक्ति	Prefrence
																			वर्ष	दिनों की सं0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1881	RAJKUMAR CHAUDHARY S/O - LATE RAMESHWAR CHAUDHARY , VILL+PO-KHARIKA PS-SONEPUR , SARAN , BIHAR , NA	CHAPRA& 1773/11	Eight	Yes	15/09/1972	01/01/2011	38	3	17	M	SC	Non PH	NALKUP KHALASI,KARYAPALAK ENGINEER LOK HEALTH PRAMANDAL, SARAN,	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा 1474!27.07.17	Line Department	नलकूप खलासी (श्रमपुस्त)	1990 1991 1992 कुल–	154 312 137 603	603	नहीं	लागू नहीं	हाँ			3
2	2716	AMIT KUMAR PANKAJ S/O - SRI RAJU PRASAD , GANDAK CALONI,SERCIT HOUSE PARISADAN CAMPOUS,CHAPRA , SARAN , BIHAR , 841301	CHAPRA& 1953/11	Matric	Yes	05/05/1984	01/01/2011	26	7	27	M	BC	Non PH	DAINIK LABOUR,NIBANDHAN KARYALYA CHAPRA SARAN,	जिला अवर निबंधन कार्यालय, सारण	जिला अवर निबंधक, सारण 705/13.07.17	Line Department	दैनिक मजदूर	2008 2009 2010 कुल–	195 143 230 568	568		लागू नहीं	हाँ			3
3	770	RADHA KISHUN RAI S/O - SRI RAGUNATH RAI , VILL-KUCHWA PO+PS-GARKHA , SARAN , BIHAR , NA	CHAPRA& 5146/11	Ninth	Yes	07/03/1974	01/01/2011	36	9	25	M	BC	Non PH	CHOWKIDAR,KARYAPALAK ABHIYANTA GRAMIN KARYA PRAMANDAL CHAPRA-1 R.E.O,ADHIKCHAN ABHIYANTA GRAMIN KARYAKARTA ANCHAL CHAPRA R.E.O	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 906/19.07.17	Line Department	दैनिक परिश्रमी	1988 1989 कुल	306 260 566	566		लागू नहीं	हाँ			3
4	1895	YOGENDRA CHAUDHARY S/O - SRI NARYANA CHAUDHARY , ADD-DAHIYAWA SIYA MAHAJID PO-CHAPRA SAHEBGUNJ PS-TOWN CHAPRA , SARAN , BIHAR , 841301	CHAPRA& 423/12	Eight	Yes	27/01/1972	01/01/2011	38	11	5	M	SC	Non PH	KUSHAL LABOUR,CHATRIYA NIDESAK PASUPALAN SARAN,CHAPRA,CHATRIYA NIDESAK PASUPALAN SARAN,CHAPRA	क्षेत्रीय निदेशक पुशपालन, सारण	क्षेत्रीय निदेशक पुशपालन, सारण 221/14.07.2017	Line Department	नहीं	1990 1991 1992 कुल–	60 298 22 380	380		लागू नहीं	हाँ			3

क्र0	आइ0 डी0 सं0	आवेदक का नाम एवं पता	निबंधन सं0	शैक्षणिक योग्यता	साइकिल चलाने का अनुभव	जन्म तिथि	कटऑफ डेट (01.01.2011)	वर्ष	माह	दिन	लिंग	आरक्षण कोटि	विकलांग श्रेणी है अथवा नहीं	कार्यालय का नाम	कार्यानुभव वाले कार्यालय का नाम	कार्यालय का नाम जहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त है एवं पत्रांक, दिनांक	समाहरणालय/ अनुमण्डल/ प्रखण्ड/ अंचल/ लाईन डिपार्टमेंट/ प्राथमिकता कोटि–4	किस रिक्त पद के विरुद्ध कार्य अनुभव प्राप्त है। (समूह 'घ' के लिए)	वर्ष वार (calendar year) दिनों की सं0–(आधार न्यूनतम प्रतिवर्ष 240 दिन)		कार्यानुभव की कुल सं0	वर्षवार 240 दिन या उससे अधिक किये गये कार्यानुभवन की कुल सं0	प्राप्त कार्यानुभव व रिक्त पद के विरुद्ध है अथवा नहीं	किये गये कार्यों के विरुद्ध बिहार सरकार की राशि से भुगतान किया गया है अथवा नही (साक्ष्य सहित)	कार्यालय का मतंव्य (अभियुक्ति)	अभियुक्ति	Prefrence
																			वर्ष	दिनों की सं0							
5	3034	SHAILESHWAR PASWAN S/O - LATE SITA RAM PASWAN , VILL-KAPASHAR PO-FULWARIYA PS-MAKER , SARAN , BIHAR , NA	CHAPRA& SC-533/12	Matric	Yes	03/01/1973	01/01/2011	37	11	29	M	SC	Non PH	MALI,RAJKIYA POLITECHNIC, CHAPRA,PRINCEPAL	राजकीय पोलिटेकनिक, मढ़ौरा	राजकीय पोलिटेकनिक, मढ़ौरा 317/24.10.16 एवं 267 दि0-26.07.17	Line Department	माली (चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी)	2008 2009 कुल–	75 225 300	300		लागू नहीं	हाँ			3
6	242	MUKESH KUMAR S/O - SRI JHULAN SINGH , VILL-SONEPUR CHIRIYA BAZAR PO+PS-SONEPUR , SARAN , BIHAR , 841101	CHAPRA& SARAN& 2155/11	Matric	Yes	02/02/1984	01/01/2011	26	10	30	M	GEN	Non PH	PUMP CHALAK,KANIYA YANTIRIK ABHIYANTA LOK SWASTH YANTRIK PRASHAKHA, SONEPUR,KANIYA ABHIYANTA, SONEPUR	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, छपरा 293/15.07.17	Line Department	दैनिक मजदूर	2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 कुल–	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300	300	नहीं	लागू नहीं	हाँ			3